न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 28/प्रा.पत्र/2024 (GCMS No. 2024/34)	30.01.2024	12.08.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

धनराज आ. बद्रीलाल जाति मेघवाल,
निवासी ग्राम गोठडा हाल जगन्नाथपुरा, तहसील के.पाटन
हाल तहसील रायथल, जिला बूंदी (राज.)

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री शिफा उल हक, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 375 रकबा 0.96 हैक्टेयर वाकेग्राम गोपालपुरा आवंटन आदेश दिनांक 31.08.2006 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 28/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/34 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 14.05.2024 को अपना जवाब पेश किया जाकर यह कार्यवाही समाप्त की जाकर अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि आवंटी अप्रार्थी का उसे आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसे में इस कार्यवाही के दौरान ही गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही उक्त भूमि पर अप्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि धनराज आ. बद्रीलाल जाति मेघवाल निवासी जगन्नाथपुरा को दिनांक 07.01.2007 को भूमि खसरा संख्या 375 रकबा 0.96 हैक्टेयर वाकेग्राम गोपालपुरा का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गोपालपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2075– 2078 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 878/375 रकबा 0.96 हैक्टेयर पर अप्रार्थी गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आई.एल.आर. दिनांक 16.10.2020 अनुसार भूमि खसरा संख्या 878/375 रकबा 0.96 हैक्टेयर पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार भी उक्त भूमि पड़त पड़ी हुई है। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी धनराज आ.

जिला कलेक्टर; बुन्दी

बद्रीलाल जाति मेघवाल निवासी जगन्नाथपुरा को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 878 / 375 रकबा 0.96 हैक्टेयर वाकेग्राम गोपालपुरा दिनांक 07.01.2007 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी